FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रहलाद सिंह बनाम विजय सिंह वगै०

किस्म मुकदमा दावा अ० धा० 88 राज० काश्त० अधि० नं. 123 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
26-10-21	वादी की ओर श्री सुरेश कुमार लाम्बा एड० ने उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88 राज० काश्त० अधि० 1955 का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावें। वकील वादी के निवेदन पर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकलें साधारण तरीके से एवं रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे / स्पीड पोस्ट के जारी की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामील दिनांक 10-11-21 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	
10.12.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान– 2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत– थोई में पेश हुई। वादीगण व प्रतिवादीगण पक्षकारान् उपस्थित। ग्राम पचायंत– थोई में आयोजित शिविर में उपस्थित वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 से 10 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा पेश किया। [illegible] की पहचान वादीगण वकील श्री सुरेश कुमार [illegible] एड0 ने की एवं उपस्थित अन्य पक्षकारान् प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 की पहचान श्री रामप्रकाश सैनी, सरपंच, ग्राम पंचायत थोई के द्वारा की गई। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिये जाने से वादपत्र का आज ही लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण व	प्रहलादसिंह विजयसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.20 12:49:20 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहकाम हुक्म में

पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में पक्षकारान् को सुना गया। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 10.12.2021 को ग्राम पंचायत– थोई में आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– थोई

सरपंच
ग्राम पंचायत थोई
पं.स. श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.20 12:49:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टटेक श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान कैम्पः– थोई

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
123 / 2021	2021 / 205	26.10.2021	10.12.2021

उनवान

1. प्रहलाद सिंह पुत्र स्व0 गोपाल सिंह उम्र– 50 वर्ष
2. शिम्भूसिंह पुत्र स्व0 गोपाल सिंह उम्र– 70 वर्ष
   जाति राजपूत निवासीगण ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

वादीगण

बनाम्

1. विजय सिंह पुत्र स्व0 सन्तु सिंह उम्र– 40 वर्ष
2. मोहन सिंह पुत्र स्व0 सन्तु सिंह, उम्र–39 वर्ष
3. इन्दु कॅवर पत्नि स्व0 स्व0 सन्तु सिंह,
4. सुशीला कॅवर पुत्री स्व0 सन्तु सिंह
5. बबली कॅवर पुत्री स्व0 सन्तु सिंह
6. पिंकी कॅवर पुत्री स्व0 सन्तु सिंह
7. नर्बदा कॅवर पुत्री स्व0 गोपाल सिंह
8. सुप्यार कॅवर पुत्री स्व0 गोपाल सिंह
9. गुलाब कॅवर पुत्री स्व0 गोपाल सिंह
10. मोहन कॅवर पुत्री स्व0 गोपाल सिंह
    समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज
11. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री सुरेश कुमार लाम्बा, वादीगण अ

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी सं. 11

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.20 12:49:20 IST
Reason: SelfAttested

10/12/21

वादपत्र बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 147, 150 कुल किता 2 कुल रकबा 1.11 हैक्टयर तन ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित है। जिसके 1/2 हिस्सा की खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के पिता–दादा–ससुर मृत्तक गोपालसिंह पुत्र जोरा सिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं 1/6 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 के पिता–पति स्व0 सन्तुसिंह पुत्र गोपाल सिंह के नाम एंव हिस्सा 1/6 की खातेदारी वादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड चली आ रही है। जिसमें वादी संख्या 2 का नाम भम्भूसिंह पुत्र गोपाल सिंह गलत दर्ज है। वादी संख्या 2 का वास्तविक नाम शिम्भूसिंह पुत्र गोपालसिंह है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 आपस में एक ही परिवार के सदस्य है। जो सजरा खानदान से स्पष्ट है। सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 आपस में एक ही परिवार से है एंव उक्त वर्णित कृषि भूमि में स्वर्गीय गोपाल सिंह पुत्र जोरासिंह के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा में सजरा खानदान के अनुसार हिस्सा 2/3 पर वादीगण व हिस्सा 1/3 पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 काबिज काश्त चले आ रहे है एंव मृत्तक सन्तूसिंह पुत्र गोपालसिंह के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा की भूमि पर उसके वारिसान पुत्रगण व पत्नी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 काबिज काश्त चले आ रहे है एंव वादी संख्या 1 अपने नाम दर्ज हिस्सा 1/6 की भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है एंव वादी संख्या 2 अपनी 1/6 हिस्सा की भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। जिसमें वादी संख्या 2 का नाम भम्भूसिंह गलत दर्ज है। वादी संख्या 2 को घर पर बोलते नाम भम्भूसिंह पुकारने के कारण भूमि के विक्रय लेख में भंभूसिंह लिखा दिया गया था। इसलिए राजस्व रिकार्ड में भम्भूसिंह दर्ज हो गया। जबकि वादी संख्या 2 का वास्तविक नाम शिम्भूसिंह ही है एंव वादी संख्या 2 के अन्य समस्त दस्तावेजात में शिम्भूसिंह पुत्र गोपालसिंह ही अंकित है। इसलिए वादी संख्या 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में भम्भूसिंह के स्थान पर शिम्भूसिंह घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। उक्त वर्णित भूमि में 1/2 हिस्सा की खातेदारी से मृत्तक गोपालसिंह पुत्र जोरासिंह का नाम हजफ किया जाकर एंव मृत्तक सन्तुसिंह पुत्र गोपालसिंह का नाम 1/6 हिस्सा से हजफ किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में हिस्सानुसार 1/3 हिस्सा वादी संख्या 1 के एंव 1/3 हिस्सा वादी संख्या 2 के एंव 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज किया जाकर उपरोक्तानुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है तथा यहॉ यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादिया संख्या 1 ता 6 मृत्तक सन्तूसिंह पुत्र गोपालसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.20 12:49:20 IST
Reason: SelfAttested

की पुत्रियॉ है जो शादीशुदा होकर स्थायी रूप से ससुराल रह रही है एंव प्रतिवादिया संख्या 7 ता 10 स्वर्गीय गोपालसिंह पुत्र जोरसिंह की पुत्रिया है जो शादीशुदा होकर स्थायी रूप से ससुराल रह रही है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमियों की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने एव दुरूस्ती करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे परन्तु दिनांक 5.10.2021 को इन्कार हो गये। इसलिए माननीय न्यायालय में बिनाय ए दावा उत्पन्न होकर न्यायालय के समक्ष दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें:– यह कि घोषणा की जावें कि भूमि खसरा नम्बर 147, 150 कुल किता 2 कुल रकबा 1.11 हैक्टर तन् ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी संख्या 2 का नाम भम्भूसिंह पुत्र गोपालसिंह के स्थान पर शिम्भूसिंह पुत्र गोपालसिंह दुरूस्त किया जाकर उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड से खातेदार मृत्तक गोपालसिंह पुत्र जोरासिंह एंव मृत्तक सन्तूसिंह पुत्र गोपालसिंह का नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी हिस्सानुसार 1/3 हिस्सा वादी संख्या 1 के एंव 1/3 हिस्सा वादी संख्या 2 के एंव 1/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के एंव 1/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के एंव 1/9 हिस्सा प्रतिवादिया संख्या 3 के नाम दर्ज किया जाकर उपरोक्तानुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर दुरूस्त किये जाने बाबत उक्त दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत ग्राम पंचायत– थोई में आयोजित शिविर दिनांक 10.12.2021 में पक्षकारान् वादीगण व प्रतिवादीगण उपस्थित आये। जिनमें उपस्थित वादीगण की पहचान वादीगण वकील श्री सुरेश कुमार लाम्बा एड० ने की एंव उपस्थित प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 10 की पहचान श्री रामप्रकाश सैनी सरपंच, ग्राम पंचायत–थोई के द्वारा की गई। पक्षकारान् प्रतिवादीगण ने वादी के पक्ष मे दौराने शिविर में उपस्थित होकर पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से राजीनामा पेश किया। जो दौराने शिविर बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। उपस्थित प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार कर लिया गया है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत– थोई के मज़मे–ए–आम में उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से पक्षकारान् के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा प[illegible]ये जाने से एंव शिविर में उपस्थित पक्षकारान् ने भी अपनी–अपनी सहम[illegible]उपस्थित पक्षकारान् ने प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से किये जाने का निवेदन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.20 12:49:20 IST
Reason: SelfAttested

10/12/21

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 के द्वारा वादीगण के पक्ष में वादपत्र को स्वीकार करते हुए लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश कर दिये जाने से तथा आज आयोजित शिविर में अपनी सहमति प्रदान किये जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन वादीगण अभिभाषक के द्वारा किया गया है।

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमियों के 1/2 हिस्सा की खातेदारी वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं. 1 ता 10 के पिता–दादा–ससुर मृत्तक गोपालसिंह पुत्र जोरासिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है एंव 1/6 हिस्सा की खातेदारी वादी संख्या 1 के नाम एंव 1/6 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 के पिता/पति स्वर्गीय सन्तूसिंह पुत्र गोपालसिंह के नाम एंव हिस्सा 1/6 की खातेदारी वादी संख्या 2 के नाम दर्ज है जिसमे वादी संख्या 2 का नाम भम्भू सिंह पुत्र गोपालसिंह गलत दर्ज है। वादी संख्या 2 का वास्तविक नाम शिम्भूसिंह पुत्र गोपालसिंह है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार गोपालसिंह पुत्र जोरासिंह व सन्तूसिंह पुत्र गोपालसिंह के नाम दर्ज खातेदारी के स्थान पर खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दुरूस्त किये जाने हेतु वादपत्र पेश किया जाना प्रकट होता है। जिसके अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैत्रृक भूमियॉ होना सिद्ध होता है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान अपने मध्य हुए बाहमी बंटवारे अनुसार अपने अपने हक हिस्से में दर्ज खातेदारी भूमियों की घोषणा बरूए राजीनामा दर्ज करवाने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में आराजीयात काश्तकारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 147, 150 कुल किता 02 कुल रकबा 1.11 हैक्टर तन् ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी संख्या 2 का नाम भम्भूसिंह पुत्र गोपालसिंह के स्थान पर शिम्भूसिंह पुत्र गोपालसिंह दुरूस्त किये जाने व उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड से खातेदार मृत्तक गोपालसिंह पुत्र जोरासिंह एंव मृत्तक सन्तूसिंह पुत्र गोपालसिंह का नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी 1/3 हिस्सा वादी संख्या 1 के एंव 1/3 हिस्सा वादी संख्या 2 के एंव 1/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के एंव 1/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के एंव 1/9 हिस्सा प्रतिवादिया संख्या 3 के नाम दर्ज किया जाकर उक्त अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर दुरूस्त किये जाने बाबत जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.20 12:49:20 IST
Reason: SelfAttested

10/12/21

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा आराजीयात काश्तकारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 147, 150 कुल किता 02 कुल रकबा 1.11 हैक्टर तन् ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी संख्या 2 का नाम भम्भूसिंह पुत्र गोपालसिंह के स्थान पर शिम्भूसिंह पुत्र गोपालसिंह दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है एंव उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड से खातेदार मृत्तक गोपालसिंह पुत्र जोरासिंह एंव मृत्तक सन्तूसिंह पुत्र गोपालसिंह का नाम हजफ किया जाता है तथा उक्त भूमि की खातेदारी 1/3 हिस्सा वादी संख्या 1 के एंव 1/3 हिस्सा वादी संख्या 2 के एंव 1/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के एंव 1/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के एंव 1/9 हिस्सा प्रतिवादिया संख्या 3 के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही की जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे । इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

10/12/21
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर फास्टटेक
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः— थोई

यह निर्णय आज दिनांक 10.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान—2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायतः— थोई के मजमे—ए—आम में सुनाया गया।

10/12/21
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर फास्टटेक
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः— थोई

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip
Date: 2021.12.20 12:49:20 IST
Reason: SelfAttested